

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर  
पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 60/2021

**उनवान**

शमीम बी पत्नी मौहम्मद इकबाल जाति मुसलमान निवासी 716 स्टेशन रोड, नसीराबाद  
—वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

**बनाम**

1. मु. शाबरा पत्नी अब्दुल रज्जाक,
2. अजरूदीन,
3. शबनम,
4. शाजिया पि० अब्दुल रज्जाक जाति चीता नि० हटुण्डी, अजमेर,
5. जलदार,
6. शरीफ,
7. सज्जन पुत्र समरथा जाति चीता नि० देवला की डांग नसीराबाद,
8. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

— प्रतिवादीगण :- 8 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 22.7.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डूंगा जी का बाडिया के खाता संख्या 98/96 किता 3 रकबा 0.32 व 99/100 किता 4 रकबा 0.60 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की सह खातेदारी आराजी की है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हैं। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते हैं तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया।


बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा अलग-अलग खातों में वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। वादी ने उक्त वाद में विभाजन अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज. पैरोकार ने वाद का

खण्डन नहीं किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम डूंगा जी का बाडिया के खाता संख्या 98/96 किता 3 रकबा 0.32 व 99/100 किता 4 रकबा 0.60 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इन्ट्राई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शमीम बी बनाम शायरा


दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 60 / 2021

पेश करने की दिनांक - 21.06.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम डूंगा जी का बाडिया के खाता संख्या 98/96 किता 3 रकबा 0.32 व 99/100 किता 4 रकबा 0.60 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक                      को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 7 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद